न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

पीठासीन अधिकारी :– रतनलाल रेगर (आर ए एस)

प्रार्थना पत्र सख्या 316/2019

प्रार्थी :–

प्रेमसिह पुत्र श्री गंगानारायण जाति पुरोहित निवासी ग्राम बासनी तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–

तहसीदार ओसियाँ जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नैनूराम विश्नोई

अप्रार्थी सरकारी पैरोकार उपस्थित।

–::निर्णय :–

दिनाक 10/12/19

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की सयुक्त खातेदार व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा सख्या 2073 रकबा 113 बीघा 18 बिश्वा ग्राम बासनी व खसरा सख्या 1964 रकबा 13 बीघा 01 बिश्वा व खसरा सख्या 1966 रकबा 22 बीघा 14 बिश्वा ग्राम सिमरथनगर में आई हुई है। उक्त भूमि प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज थी। तथा प्रार्थी के पिता फौत होने पर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के भाईयो के साथ नाम प्रेमराज दर्ज कर दिया प्रार्थी का वास्तविक नाम प्रेमसिह है प्रार्थी के तमाम दस्तावेज पहचान पत्र आधार कार्ड राशन कार्ड बैक खाता में प्रेमसिह पुत्र श्री गंगानारायण दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य खसरान की भूमि खसरा सख्या 52/2 रकबा 01 बीघा 04बिश्वा, खसरा सख्या 53 रकबा 68 बीघा 07 बिश्वा मौजा ग्राम हरिपुरा के प्रेमसिह दर्ज है जो सही है उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियो की सद्भाविक भूल है जिसको राजस्व रेकर्ड में सुधार किया जा सकता है राजस्व रेकर्ड मे रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भंयकर समस्याओ का सामना करना पडता है इस कारण प्रार्थी अपना राजस्व रेकर्ड में सही करवाना चाहता है। अन्त में प्रार्थी द्वारा ईस्तदुआ चाही कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा [illegible] 207[illegible] [illegible] 113 बीघा 18 बिश्वा ग्राम बासनी व खसरा सख्या 1964 रकबा 13 बीघा [illegible] 14 बिश्वा ग्राम सिमरथनगर तहसील ओसियाँ के प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड में प्रेमराज पुत्र श्री गंग[illegible]ण के स्थान पर प्रेमसिह पुत्र श्री गं[illegible] दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:17:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने की ईस्तदुआ चाही तथा उक्त खसरान की भूमि में प्रेमराज के स्थान पर प्रेमसिंह दर्ज करने की अनापत्ति की ।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि उक्त खसरान की भूमि में प्रार्थी का नाम प्रेमराज अंकित है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी पहचान सम्बन्धी दस्तावेजों में प्रेमसिंह नाम अंकित है प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का भी अवलोकन करने की ईस्तदुआ चाही है। अप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने को कहा।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी प्रेमराज व प्रेमसिंह एक ही व्यक्ति है उक्त नाम की त्रुटि केवल मात्र राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में सद्भाविक भूल के कारण हुई है इसलिए उक्त त्रुटि सुधार की जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम प्रेमराज के स्थान पर प्रेमसिंह किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

<u>-:आदेश :-</u>

अत प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा तहसील ओसियाँ के राजस्व ग्राम बासनी के खसरा संख्या 2073 रकबा 113 बीघा 18 बिस्वा व राजस्व ग्राम सिमरथनगर के खसरा संख्या 1964 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा व खसरा संख्या 1966 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम प्रेमराज के स्थान पर प्रेमसिंह पुत्र श्री गंगानारायण दर्ज किया जावे । आदेश की पालना हेतु तहसीलदार ओसियाँ को तहरीर जारी हो ।

रतनलाल रेगर
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसिया

निर्णय आज दिनांक 10/2/ को सरेईजलास सुनाया गया।

रतनलाल रेगर
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसिया